अंक-संख्या--241

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०--4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०--41

(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 4 अप्रैल, 1985

चैत्र 14, 1907 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 556/सत्रह--वि0-1--1-(क)-10-1985

लखनऊ, 4 अप्रैल, 1985

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1985 पर दिनांक 3 अप्रैल, 1985 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1985 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अधिनियम, 1985

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1985]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, 1952 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अधिनियम, 1985 कहा जायगा।

(2) यह 1 अक्तूबर, 1984 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1952 की धारा 3 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, 1952 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में,—

(क) उपधारा (1) में, अन्त में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि 1 अक्तूबर, 1984 के पश्चात् किन्तु 31 मार्च, 1985 के पूर्व जारी की गयी ऐसी अधिसूचना को ऐसे पूर्ववर्ती दिनांक को या से जो 1 अक्तूबर, 1984 के पूर्व न हो प्रभावी बनाया जा सकता है ।"

(ख) उपधारा (2) में,—

(एक) शब्द "पचीस प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "पैंतीस प्रतिशत" रख दिए जायेंगे ;

(दो) शब्द "छः पैसे" के स्थान पर शब्द "आठ पैसे" रख दिये जायेंगे ।

(ग) उपधारा (5) में, खण्ड (ख) निकाल दिया जायगा ।

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अध्यादेश, 1985 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

आज्ञा से,
राजेश्वर सिंह,
विशेष सचिव ।

No. 556(2)/XVII-V—1-1(KA)-10-1985

Dated Lucknow, April 4, 1985

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Electricity (Duty) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1985 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 11 of 1985) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 3, 1985:

THE UTTAR PRADESH ELECTRICITY (DUTY) (AMENDMENT) ACT, 1985

[U. P. Act no. 11 of 1985]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Electricity (Duty) Act, 1952

It is hereby enacted in the Thirty-sixth Year of the Republic of India.

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Electricity (Duty) (Amendment) Act, 1985.

(2) It shall be deemed to have come into force on October 1, 1984.

Amendment of section 3 of U.P. Act XXXIII of 1952.

2. In section 3 of the U. P. Electricity (Duty) Act, 1952, hereinafter referred to as the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1), the following proviso shall be *inserted* in the end, namely :

"Provided that such notification issued after October 1, 1984 but not later than March 31, 1985 may be made effective on or from a prior date not earlier than October 1, 1984."

(*b*) in sub-section (2),—

(i) *for* the words "twenty-five per cent" the words "thirty-five per cent" shall be *substituted*;

(ii) *for* the words "six paise" the words "eight paise" shall be *substituted*;

(c) in sub-section (5), clause (*b*) shall be *omitted*.

Repeal and saving. U.P. Ordinance No. 4 of 1985.

3. (1) The Uttar Pradesh Electricity (Duty) (Amendment) Ordinance, 1985, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
RAJESHWAR SINGH,
Vishesh Sachiv.

पी0 एस0 यू0 पी0--ए0 पी0 1 सा0 (विधा0)-(80)-1985-750 (मेक0)।